163

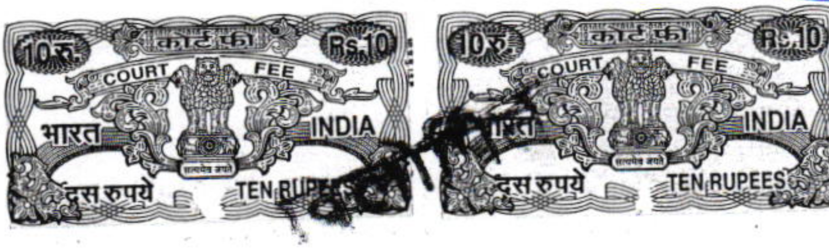

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–दतिया

श्रीमती कस्तूरी देवी बेवा स्व. श्री मेवालाल द्विवेदी निवासी–ग्राम बसई तहसील व जिला दतिया (म.प्र.)

...... आवेदिका

विरूद्ध

1– महेश कुमार द्विवेदी पुत्र स्व. श्री मेवालाल द्विवेदी निवासी–ग्राम बसई तहसील व जिला दतिया (म.प्र.)

2– अखलेश कुमार द्विवेदी पुत्र स्व. श्री मेवालाल द्विवेदी निवासी – सुदामापुरी मुरार, ग्वलियर (म.प्र.)

3– कमलेश कुमार द्विवेदी पुत्र स्व. श्री मेवलाल द्विवेदी निवासी – न्यू तुलसी बिहार कालौनी, सेवानगर ग्वालियर (म.प्र.)

4– उमेश कुमार द्विवेदी पुत्र स्व. श्री मेवालाल द्विवेदी निवासी – ग्राम बसई तहसील व जिला दतिया (म.प्र.) ...... अनावेदकगण

न्यायालय तहसीलदार दतिया के समक्ष विचाराधीन प्रकरण क्रमांक 14/ अ–27/2013–14 में की जा रही कार्यवाही से व्यथित होकर मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 एवं सहपठित धारा 8 के अधीन पुनरीक्षण।

द्वारा अभिभाषक

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 2012–एक / 16 जिला – दतिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19–7–16	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. अवस्थी एवं अनावेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री के0के0 द्विवेदी स्वतः उपस्थित । उभयपक्षों द्वारा बताया गया कि अधीनस्थ न्यायालय में बटवारा प्रकरण विचाराधीन है, दोनों पक्षों द्वारा सहमति के आधार पर बटवारा प्रकरण का निराकरण करने का अनुरोध तहसीलदार के समक्ष किया गया है, परंतु उनके द्वारा कार्यवाही नहीं की जा सही है । अतः संहिता की धारा 50 सहपठित धारा 8 के तहत इस संबंध में आवश्यक निर्देश तहसीलदार को दिए जाने का अनुरोध किया गया है । 2/ उभयपक्षों के तर्कों पर विचार किया । विचारोपरांत यह पाया जाता है कि जब उभयपक्ष बटवारे पर सहमत हैं तब तहसील न्यायालय को उस अनुसार प्रकरण का निराकरण करना चाहिए । ऐसी स्थिति में तहसीलदार को निर्देश दिए जाते हैं कि उभयपक्षों द्वारा पारिवारिक सहमति से बटवारा किए जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रकाश में प्रकरण का निराकरण आदेश प्राप्ति से एक माह के अंदर किया जाये । उक्त निर्देश के साथ यह प्रकरण निराकृत किया जाता है । सदस्य	